130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025

केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहे मंत्रियों को हटाने के लिये **130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025** पेश किया।

विधेयक के प्रावधान

संशोधित अनुच्छेद:	महत्त्व
• अनुच्छेद 75, 164 और 239AA (केंद्रीय और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री)।	**राजनीति का अपराधीकरण:** • कई मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, लेकिन वे दोषसिद्धि तक पद पर बने रहते हैं। • जाँच से ज्ञात होता है 45 प्रतिशत विधि निर्माताओं पर आपराधिक मामले घोषित थे, जिनमें से 29% पर गंभीर आरोप हैं **[ADR 2025 रिपोर्ट]**।
मुख्य खंड - प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्रियों का समावेशन: • लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्री- प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन पद से हटाए जा सकते हैं। • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा; राज्य: राज्यपाल - मुख्यमंत्री की सलाह पर; दिल्ली: राष्ट्रपति - मुख्यमंत्री की सलाह पर। • 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को 31वें दिन तक पदत्याग करना होगा।	**उत्तरदायित्व:** • मंत्रियों के पास जाँच को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति होती है। न्यायिक विलंब से वे लंबे समय तक पद पर बने रहने में सक्षम होते हैं। **जन-विश्वास:** • गंभीर आरोपों के तहत अस्थायी रूप से हटाए जाने से शासन की सुचिता और नैतिक शासन अक्षुण्ण रहता है।
उद्देश्य: • संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए, यह सुनिश्चित करना कि गंभीर आरोपों वाले मंत्री पद पर बने न रह सकें।	

मंत्रियों को हटाने जाने से संबंधित वर्तमान विधिक ढाँचा- RPA 1951

गिरफ्तारी पर स्वतः निष्कासन नहीं; दोषसिद्धि तक निर्दोषता की उपधारणा लागू होती है।

- विधायकों को केवल 2 वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास वाले कतिपय अपराधों के लिये दोषसिद्धि के बाद ही निरर्हित ठहराया जा सकता है।
- यदि PCA, 1988 के तहत दोषी ठहराया जाता है- जुर्माना के साथ दंडित होने पर 6 वर्ष के लिये निरर्हित।
  - यदि कारावास का दंड दिया जाता है, कारावास अवधि और साथ रिहाई के बाद 6 वर्ष के लिये निरर्हित।

विषय संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय	
• **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014):** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की नियुक्ति पर कोई विधिक रोक नहीं है, लेकिन ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति न करने की सलाह दी गई है। • **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन लोकहित मुकदमा (2018):** सर्वोच्च न्यायालय निरर्हता पर विधान नहीं बना सकता; केवल संसद के पास यह शक्ति है।	• **अरविंद केजरीवाल मामला (2024):** केजरीवाल को शराब नीति धन शोधन मामले में ज़मानत दी गई, आधिकारिक कर्तव्यों से प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पदत्याग के लिये बाध्य नहीं कर सका। • **वी सेंथिल बालाजी मामला (2025):** सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री को ज़मानत के बाद पुनर्नियुक्ति के पश्चात् पद और स्वतंत्रता में से किसी एक का चयन करने का निर्देश दिया।

मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण

विधि आयोग:

- **170वीं रिपोर्ट (1999):** ऐसे अपराधों के आरोप लगने पर, जिनमें अधिकतम पाँच वर्ष की सज़ा हो सकती है, विधायकों को पाँच वर्षों तक या बरी होने तक (जो भी पहले हो) निरर्हित ठहराया जा सकता है।

- **244वीं रिपोर्ट (2014):** निरर्हता तब होगी जब न्यायालय द्वारा आरोप तय किये जाएँगे अर्थात् मुकदमे के लिये पर्याप्त साक्ष्य की प्रथम दृष्टया न्यायिक संतुष्टि।

अन्य सुझाव:

- जाँच या निरोध के दौरान भी निष्कासन/निलंबन के लिये स्पष्ट नियम निर्धारित किया जाना।
- मंत्रियों के आचरण की निगरानी के लिये समितियों और आचार समितियों का सशक्तीकरण; लंबित मामलों की जाँच और आस्तियों, देनदारियों और आवधिक प्रकटन।

भारत के चुनावी परिदृश्य का रूपांतरण

निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने और भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये **निर्वाचन आयोग** ने अनेक पहलें की हैं।

भारत की चुनावी प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण करने हेतु प्रमुख सुधार

मतदाता सूची प्रबंधन:

- 476 निष्क्रिय **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP)** का असूचीयन करने हेतु उनकी पहचान की गई
- चार राज्यों में उपचुनावों के लिये मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण (दो दशकों में प्रथमतः ऐसा हुआ)
- सटीक मतदाता सूचियाँ सुनिश्चित करने के लिये बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
- समस्त देश से डुप्लीकेट **EPIC** कार्ड विलोपित किये गए

पारदर्शिता और अनुवीक्षा:

- 40 से ज़्यादा निर्वाचन ऐप्स को एकीकृत कर ECINET लॉन्च किया गया
- डेटा की बेहतर पहुँच के लिये डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट
- अनुवीक्षा के लिये मतदान केंद्रों की पूर्ण वेबकास्टिंग

बूथ-स्तरीय सुधार:

- बूथ स्तर के अधिकारियों को मानक पहचान पत्र जारी किये गए
- संकुलता कम करने हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या सीमा 1,200 की गई

मतदाता सत्यापन:

- फॉर्म 17C और EVM डेटा के बीच बेमेल होने की स्थिति में **VVPAT** पर्चियों की गणना अनिवार्य की गई जिससे मतगणना सटीकता बढ़ी

चुनावी प्रक्रिया संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ	भारत के चुनावी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण
• **बढ़ता चुनावी व्यय:** विधिक रूप से अनुमत सीमा और वास्तविक व्यय में बढ़ता अंतराल जिससे भ्रष्टाचार, अपर्याप्त रिपोर्टिंग और काले धन के सृजन को बढ़ावा मिलता है। • **राजनीति का अपराधीकरण:** वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 543 में से 251 (46%) नवनिर्वाचित सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो राजनेता-अपराधी अंतर्संबंध से प्रेरित है। • **मतदाताओं का मताधिकार से वंचित होना:** जाली मतदान, नाम का लोप होना और नगरीय क्षेत्रों में अपर्याप्त मतदान। आंतरिक प्रवासियों, वृद्धजनों और दिव्यांग नागरिकों के लिये बाधाएँ जिससे समावेशिता प्रभावित होती है। • **फ्रीबीज़ की राजनीति और राजकोषीय लोकलुभावनवाद**: अस्थायी मुफ्त योजनाएँ = शासन और राजकोषीय अनुशासन में गिरावट; मतदाता प्रायः दीर्घकालिक विकास योजनाओं की बजाय अल्पकालिक वादों से प्रभावित हो जाते हैं। • **तकनीकी और साइबर खतरे:** सोशल मीडिया पर डीपफेक, मिथ्या सूचना और एल्गोरिथम-संचालित हेरफेर वर्तमान समय के खतरे हैं।	• विधिसम्मत व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ **आंशिक राज्य वित्तपोषण** की शुरुआत **[दूसरा ARC]**। ♦ इसके अतिरिक्त, संदान का डिजिटल प्रकटीकरण, अनामित कॉर्पोरेट फंडिंग का विनियमन और प्रभावी **CAG**/ECI अंकेक्षण। ♦ राजनीतिक दलों को **RTI अधिनियम, 2005** के अंतर्गत लाने पर विचार किया जाना चाहिये। • आंतरिक दलीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये एक **विनियामक ढाँचा [विधि आयोग** रिपोर्ट, 1999]। ♦ इसके अतिरिक्त, ऐसे कानून में आंतरिक चुनाव और पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाना चाहिये। • **राजनीतिक विज्ञापनों के लिये पता लगाने योग्य प्रकटीकरण** अनिवार्य करना, राष्ट्रीय **डीपफेक डिटेक्शन सेल** की स्थापना करना और मिथ्या सूचनाओं का निवारण करने के लिये मतदाता साक्षरता अभियान आयोजित करना। • **टोटलाइज़र मशीनों** का उपयोग करना, **एक समान मतदाता सूची** सुनिश्चित करना, आदर्श आचार संहिता का पालन करना और चुनाव प्रचार की अवधि सीमित करना।

चुनावी प्रक्रिया संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ	भारत के चुनावी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण
• **मतदाता सूची में हेराफेरी:** डुप्लिकेट EPIC नंबर और हेराफेरी के आरोपों से मतदाता सूचियों पर विश्वास प्रभावित होता है। • **आंतरिक-दलीय लोकतंत्र का अभाव:** केंद्रीकरण, अस्पष्टता और वंशवादी प्रभुत्व से उम्मीदवारों का पारदर्शी चयन बाधित होता है।	• निर्वाचन आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना, निष्पक्षता और सुदृढ़ निगरानी के लिये क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग प्रकोष्ठ, नियमित अंकेक्षण और एक स्वतंत्र कैडर का प्रावधान करना। • स्थानीय/राज्य स्तर पर **एक राष्ट्र, एक चुनाव** का प्रायोगिक परीक्षण करना, स्थायी राष्ट्रीय मतदाता सूची और एक समान मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत करना।

नशा मुक्त भारत

भारत में मादक द्रव्य अपसेवन की समस्या का निवारण किये जाने हेतु लॉन्च किये गए नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वन के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान

- **लॉन्च: वर्ष 2020 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)।**
- **उद्देश्य:** शैक्षणिक संस्थानों में मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना; परामर्श एवं उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
- **लक्ष्य:** आश्रित जनसंख्या- भारत के सभी ज़िले।
- **त्रि-आयामी रणनीति:** आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार।
- **प्रमुख उपलब्धियाँ**
  - जन जागरूकता - 18.10+ करोड़ लोगों और 4.85+ लाख संस्थानों को जागरूक किया गया।
  - 1.67+ करोड़ छात्रों की सहभागिता।
  - 20,000+ मास्टर स्वयंसेवक की सहभागिता।
  - ISKCON जैसे अनेक आध्यात्मिक/सामाजिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन।

भारत में मादक द्रव्य अपसेवन का प्रचलन	
• लगभग 10 करोड़ लोग स्वापक पदार्थों से प्रभावित (NCB डेटा) • उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब: **NDPS अधिनियम, 1985** (वर्ष 2019-21) के तहत सबसे अधिक FIR दर्ज किये गए • प्रमुख उपभोग वाले मादकद्रव्य (आयु 10-75): ऐल्कोहॉल (14.6%), कैनेबिस- (2.8%) [**मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2019)**] • भारत - गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के कारण एक सुभेद्य पारगमन और उपभोग क्षेत्र	

DOPE - भारत में ड्रग नियंत्रण संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ

D	**Dark Net & New Substances (डार्क नेट और नए मादक द्रव्य)**	नए मनो-सक्रिय पदार्थों का बढ़ता उपयोग और डार्कनेट तथा क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर अवैध ऑनलाइन व्यापार।
O	**Organizational & Infrastructure Gaps (संगठनात्मक और बुनियादी ढाँचे का अभाव)**	प्रशिक्षित कर्मियों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, पुनर्वास केंद्रों और विशेष सुविधाओं का अभाव।
P	**Poor Awareness & Prevention (अपर्याप्त जागरूकता और निवारण)**	विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश और युवा व्यक्तियों में अपर्याप्त शिक्षा, सामुदायिक स्तर पर अपर्याप्त जागरूकता।
E	**Exclusion & Stigma in Addiction Treatment (व्यसन उपचार संबंधी अपवर्जन और कलंक)**	सामाजिक कलंक और उच्च मांग के कारण पुनर्वास में कम भागीदारी, जिससे नियंत्रण प्रयास सीमित होते हैं।

SAFE - मादक द्रव्य अपसेवन के निवारण हेतु सुझावात्मक उपाय

S	Strengthen Law Enforcement (विधि प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण)	संसाधनों, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों, निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय के साथ NDPS अधिनियम और **PITNDPS अधिनियम, 1988** के कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण करना।
A	Awareness and Prevention (जागरूकता और रोकथाम)	**ड्रग की माँग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)** का सख्ती से पालन करते हुए उपचार और पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार करना।

F	Focus on Supply Reduction (आपूर्ति में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करना।)	AI, बिग डेटा, ड्रोन, उपग्रहों के माध्यम से **सीमा नियंत्रण को बढ़ाना;** अवैध फसल उगाने वाले किसानों के लिये वैकल्पिक आजीविका का समर्थन करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना।
E	Enhance Int'l Cooperation (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि।)	मादक द्रव्यों की तस्करी की निगरानी करने और इसके निवारण हेतु पड़ोसी देशों, UNODC, इंटरपोल के साथ सहयोग करना।

केरल: भारत का 'पहला' डिजिटल साक्षर राज्य

भारत के पहले पूर्णत: डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में केरल की घोषणा, डिजी केरलम परियोजना के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

डिजी केरलम परियोजना	अक्षय परियोजना
• वरिष्ठ नागरिकों, गृहणियों और डिजिटल रूप से बहिष्कृत समूहों को लक्षित किया गया; युवा स्वयंसेवकों को लाभान्वित किया गया। • **के-स्मार्ट (प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन के प्रबंधन के लिये केरल समाधान) मंच:** ऑनलाइन पहुँच सेवाएँ, समावेशन और शासन को बढ़ावा देना।	• पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा वर्ष 2002 में केरल में **परिवार के एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने,** राज्य भर में आई.टी. पहुँच और नागरिक सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देने के लिये इसकी शुरुआत की गई थी।

भारत में डिजिटल साक्षरता

⌘ भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं (शहरी क्षेत्रों में 61% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25%) **[केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड]।**

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाली पहलें:

⌘ भारत सरकार ने दो योजनाएँ लागू कीं, **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)** - 52.50 लाख लक्षित लाभार्थी (प्रत्येक पात्र परिवार से एक व्यक्ति)। दोनों अब बंद कर दी गई हैं।

⌘ **पी.एम. ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पी.एम.जी.दिशा):** देशभर में 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया (मार्च 2024)।

सुंदरबन में साल्टवाटर क्रोकोडाइल (खारे पानी का मगरमच्छ)

राज्य वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार, सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व (SBR) में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है।

⌘ **खारे पानी के मगरमच्छ (Saltwater Crocodiles):**

- ❖ **शीर्ष मांसाहारी (Hypercarnivorous)** शीर्ष स्तर पर विद्यमान शिकारी, जो जलाशयों में मृत पशुओं (कर्कस) का सेवन करते हैं।
- ❖ प्रायः उन खाड़ियों एवं नदियों में पाए जाते हैं जहाँ **उच्च ज्वार की चौड़ाई 180 मीटर से** कम होती है।
- ❖ सर्दियों में जल की लवणता के प्रति अनुकूलन की क्षमता रखते हैं।

⌘ **सुंदरबन:**

- ❖ विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, जिसका **40% हिस्सा भारत में और शेष बांग्लादेश** में स्थित है (गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा)।
- ❖ मान्यता: वर्ष 1987 (भारत) और 1997 (बांग्लादेश) में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, और रामसर स्थल (2019)।

चर्चित स्थान: अमेज़न

इक्वाडोर और पेरू के स्वदेशी समुदायों ने, अमेज़न वर्षावनों में वनोन्मूलन, प्रदूषण और जैवविविधता ह्रास के खतरों का उल्लेख करते हुए, नए तेल समझौते का विरोध किया है।

अमेज़न वर्षावन

⌘ विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो 9 देशों में 6.7 मिलियन वर्ग किमी में विस्तृत है।

⌘ इसका **60% क्षेत्र ब्राज़ील** में है, जबकि शेष बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेज़ुएला और फ्रेंच गुयाना में है।

⌘ यह **विश्व के कुल वर्षावन क्षेत्र का 50% से अधिक क्षेत्र** कवर करता है, जो **जैवविविधता, कार्बन पृथक्करण और जलवायु विनियमन** के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- ❖ इससे विश्व के **लगभग 10% वन्यजीवों का पोषण** होता है, जिसमें विश्व के 70% से अधिक जगुआर शामिल हैं।